संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2508 / 4 / प्रवेश / 2014 भोपाल, दिनांक 25 / 09 / 2014

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 737 / 2013 एवं 716 / 2013 में पारित निर्णय दिनांक 19 / 05 / 2013 द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार किसी भी कारण से रिक्त रही सीटों पर आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक 390 / 2011 (सिविल अपील 4060 / 2009) में दायर अंतरिम याचिका क्रमांक 10 / 2014 एवं 11 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 15 / 09 / 2014 के अनुसार पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल सांईस, भोपाल की 87 सीटों पर आवंटन की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त सीटो के भरने के लिये यदि कोई निर्देश दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निम्नानुसार कार्यक्रम अनुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

स्थान :— गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

समयः— प्रातः 11:00 बजे से प्रतिदिन

सं. क्र.	तिथि एवं समय	विवरण	अभ्यर्थी जिन्हे सम्मिलित होना है	दिवस
01	27 / 09 / 2014 प्रातः 11.00 बजे से	रिपोर्टिंग स्थलः— गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	**अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारिक्षत श्रेणी** के समस्त आनलाईन रजिस्टर्ड, पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी जिन्होनें ए.आई.पी.एम.टी. 2014 की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के शासकीय / निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटे से प्रवेशित अथवा ऐसे पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा सीट लेकर छोड दी है ऐसे अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वे भी एमपी ऑनलाईन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है एवं रजिस्ट्रेशन के उपरान्त वे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र होगें।	01 दिवस

25.9.14

02	दिनांक **28/09/2014** एवं 29/09/2014 प्रातः 11.00 बजे से	सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया। स्थलः– गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के समस्त ऑनलाईन रजिस्टर्ड, पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। **<u>नोट</u> :– 1–काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है।** **2– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो पुर्नआवंटन के इच्छुक नहीं है उन्हे इस कार्यकम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है । उनकी आवंटित सीट यथावत रहेगी ।**	02 दिवस
03	दिनांक **30/09/2014** प्रातः 11.00 बजे से	सीट परिवर्तन, सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया। **मध्य प्रदेश में शासकीय स्वशासी एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम 2014 एवं मध्यप्रदेश प्राईवेट मेडिकल (एमबीबीएस) एवं डेंटल (बीडीएस) अण्डरग्रेजुएट कोर्सेस एडमीशन रूल्स 2014 के अनुसार सीटों के परिवर्तन, आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही।** स्थलः– गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के समस्त ऑनलाईन रजिस्टर्ड, पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। **<u>नोट</u> :– 1–काउंसलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है।** **2– प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो पुर्नआवंटन के इच्छुक नहीं है उन्हे इस कार्यकम में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है । उनकी आवंटित सीट यथावत रहेगी ।**	01 दिवस

<u>महत्वपूर्ण सूचना :–</u>

1. किसी भी दिन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर निर्धारित तिथि के बचे हुये अभ्यर्थियों की सीट आवंटन एवं प्रवेश की प्रक्रिया अगले दिन की जावेगी। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है दिनांक 30/09/2014 तक रूकने की तैयारी से आये तथा कांउसलिंग स्थल पर निर्धारित फीस की व्यवस्था के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होवें।
2. सभी सीट आवंटित अभ्यर्थियों को आवंटन स्थल पर आवश्यक रूप से अपने मूल दस्तावेजों/अभिलेख एवं निर्धारित फीस के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय (स्टेट कोटा के अन्तर्गत प्रवेशित) में पूर्व से प्रवेशित छात्रों को उनके मूल

अभिलेख/दस्तावेज संबंधित कालेज में जमा करने के प्रमाण के साथ संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति लेकर आयें ।

3. **अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं उनकी कम से कम तीन स्वयं सत्यापित प्रतियां (फोटोकॉपी) लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है:–**

(i) एडमिशन कार्ड ए.आई.पी.एम.टी.– 2014

(ii) ए.आई.पी.एम.टी मार्कशीट –2014

(iii) 10+2 मार्कशीट –2014.

(iv) 10 वी. मार्कशीट/सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो ।

(v) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण–पत्र।

(vi) आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, विंकलांग) हेतु मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र ।

(vii) चरित्र प्रमाण–पत्र

(viii) 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने उपरांत अंतराल होने की स्थिति में नोटरी द्वारा जारी गैप शपथ–पत्र ।

(ix) मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (जिनके लिये लागू हो)।

(x) निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी वर्तमान वर्ष 2013–2014 का आय प्रमाण–पत्र (जिनके लिये लागू हो)।

(xi) संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो (केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टेट कोटा के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के लिए मान्य होगा । मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों को प्रवेश के समय अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।

(xii) प्रवेश नियम में उल्लेखित अभ्यर्थी का एक पोस्टकार्ड साईज फोटो एवं पासपोर्ट साईज फोटों की 30 (तीस) प्रतियॉं ।

4. **प्रतिभूति निक्षेप** :–

चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिग के दौरान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, अन्य पिछडा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, अनुसूचित जाति एवं जन जाति के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपयें 3,00,000/– (रू. तीन लाख) से ज्यादा है, उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार) का डिमांड ड्राफ्ट, जमा करना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल (डॉयरेक्टर मेडिकल ऐजूकेशन, भोपाल) के नाम से देय होगा ।

25.9.14

5. **एडमिशन के समय संस्थानों की निर्धारित फीस डिमांड ड्राफ्ट, चैक अथवा नगद के रूप में जमा करायी जा सकती है।** सीट का आवंटन उन्ही अभ्यर्थियों को किया जायेगा जो सीट आवंटन के समय सम्पूर्ण फीस जमा कर सकें। सम्पूर्ण फीस जमा न करने पर सीट आवंटन नहीं की जायेगी।

6. प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या एवं कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in एवं एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर प्रदर्शित किया जावेगा । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक दिन निरन्तर उक्त वेबसाईट के संपर्क में रहें ।

25.9.14
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश